प्रेस विज्ञप्ति
28-04-2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इंदौर उप आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत, मेसर्स रुचि एक्रोनी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (अब मेसर्स स्टीलटेक रिसोर्सेज लिमिटेड के नाम से जानी जाती है) के मामले में 24.04.2026 को **7.76 करोड़ रुपये** मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है। ये संपत्तियां मेसर्स रुचि एक्रोनी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम पर पंजीकृत भू-खंडों के रूप में हैं।

ईडी ने सीबीआई और एसीबी, भोपाल द्वारा मेसर्स रुचि एक्रोनी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (अब मेसर्स स्टीलटेक रिसोर्सेज लिमिटेड के नाम से जानी जाती है) के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत यूको बैंक, इंदौर को कथित रूप से धोखा देने और 58 करोड़ रुपये से अधिक का गलत नुकसान पहुंचाने के आरोप में दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। कंपनी ने बेईमानी से अपने समूह की कंपनियों में निवेश के माध्यम से और अपनी सहयोगी और समूह की कंपनियों को ऋण और अग्रिम प्रदान करके धन का गबन और हेराफेरी की।

ईडी की जांच से पता चला कि क्रेडिट सुविधाएं और लेटर ऑफ क्रेडिट जाली, मनगढ़ंत और हेरफेर किए गए दस्तावेजों के आधार पर बेईमानी से प्राप्त किए गए थे, जिनका कोई वास्तविक अंतर्निहित व्यापार नहीं था, और उनसे प्राप्त धनराशि को जानबूझकर डायवर्ट किया गया, उसकी लेयरिंग की गई और एक ही स्वामित्व और नियंत्रण के तहत परस्पर जुड़ी संस्थाओं के एक जटिल जाल के माध्यम से उधारकर्ता कंपनी को वापस भेज दिया गया था। अवैध रूप से हड़पी गई धनराशि को सुनियोजित तरीके से अलग-अलग स्तरों पर जमा किया गया और बाद में विभिन्न संपत्तियों को खरीदने में इसका उपयोग किया गया।

इससे पहले ईडी, इंदौर ने इस मामले में 10.15 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच की थीं।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।